

डिक्री बमुकद्दमें इब्तादाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-जोचीणा

मु0न022/2018

वादीगण-

1. गोपालराम
2. प्रेमराम
3. कैलाशराम पुत्रगण मंगलाराम निवासी जाति मेघवाल निवासी नोखा जोधा तहसील जायल जिला नागौर।

**राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018**

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. मंगलाराम पुत्र मोहनराम
2. श्यामाराम पुत्र मोहनराम जातियान
3. पपुड़ी पुत्री मोहनराम
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल
5. सरिता पुत्री मंगलाराम उम्र 15 ना.बा जरिये कुदरती पिता मंगलाराम जाति मेघवाल निवासीगण नोखा जोधा तहसील जायल जिला नागौर।

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-25.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा का खेत ख नं 311/540 रकबा 23.09 बीघा में से 05.17 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 प्रेमराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा का खेत ख नं 311/540 रकबा 23.09 बीघा में से 05.17 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 कैलाशराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा का खेत ख नं 311/540 रकबा 23.09 बीघा में से 05.17 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मंगलाराम व श्यामाराम के सामलाती हक बंट में मौजा नोखा जोधा का खेत ख नं 311/540 रकबा 23.09 बीघा में से 05.18 बीघा नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के हक बंट में मौजा नोखा जोधा के खेत ख नं 338 रकबा 12.03 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के सामलाती हक बंट में मौजा नोखा जोधा का खेत ख नं 541/472 रकबा 1 बीघा सहखातेदारी में रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुचलिक x बाबत x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अकल करें। वसीयत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.05.2018 को जारी किया गया।

मुकद्दमा अदालत

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी जायल
जिला नागौर

मुद्द	रुपये	पैसे	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प बकालतनामा
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प बजह साबूत			मेहनताना वकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन
खर्चा गवाहन			फीस कमी"नर
फीस कमी"नर			बाबत इजराय हुवगीजान
बाबत इजराय हुवगीजान			मुतफरिफ
मुतफरिफ			

इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।


(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- जोचीणा
क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/474

दिनांक- 31.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर